प्रस्तर:- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 1.31 लाख की कटौती न किया जाना

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी /आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौतीउपरांत धनराशि राज्यस्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवंकटौतीउपरांत " राज्यस्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे E-Transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौतीनहीं की जा रही है। (विवरणसंलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कर्मचारियो का ऑनलाइन आवेदन पत्र कोसागर को पेषित किया जा चुका है जिसको लेखा परीक्षा को अवलोकित कर दिया गया है, कोसागर द्वारा अग्रिम कार्यवाही न किए जाने के कारण उपलीख्त कर्मचारियो के वेतन से कटौती लंबित है। इकाई का उत्तर मान्य

नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा शासनादेश के अनुसार अटल आयुष्मान योजना की कटौती प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 1.31 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है